महत्वपूर्ण

आज़ादी का अमृत महोत्सव

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0
(औद्योगिक आस्थान अनुभाग–11)
सर्वोदय नगर, जी0टी0रोड, कानपुर।
ई–मेल – diup123@rediffmail.com

पत्र संख्या– 103-77 /औद्योगिक आस्थान/2023–24 दिनांक : 10 अप्रैल, 2023

समस्त उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, उ0प्र0।

विषय–स्टाम्प शुल्क छूट प्रकिया को ऑन–लाइन संचालन किये जाने के संबंध में ।

कृपया विशेष सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग–2, उ0प्र0शासन, लखनऊ के पत्र सं0–354/94–स्टा0नि0–2–2023 दिनांक 20.03.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति–2022 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–2/2023/09/18–02–2023/18–2099/116/2023 (ल0उ0)/2022 दिनांक 20.03.2023 की प्रति संलग्न कर उक्त अधिसूचना में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने के निर्देश प्रदान किये गये है ।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा स्टाम्प शुल्क छूट प्रकिया का ऑन लाइन पोर्टल विकसित किया गया है । पोर्टल को सुचारू रूप से चलाने हेतु समस्त उपायुक्त उद्योग, संबंधित विकास प्राधिकरण एवं जनपदों के समस्त सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के लागिन आई डी और पासवर्ड भी बनाये गये है जो कि आपके कार्यालय की ई–मेल पर भेजे जा रहे है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विकास प्राधिकरण एवं जनपदों के समस्त सब रजिस्ट्रार कार्यालयों से समन्वय स्थापित करते हुए तथा पत्र के साथ संलग्न प्रोसेस चार्ट के अनुसार पोर्टल के माध्यम से उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानो का अनुपालन करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

(कृतिका शर्मा)
अपर आयुक्त उद्योग,उ0प्र0।

पृष्ठांकन /उपरोक्त/तद्दिनांक

उपरोक्त के प्रतिलिपि समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(कृतिका शर्मा)
अपर आयुक्त उद्योग,उ0प्र0।